Workers participation in the management Scheme

2436. SHRI GURUDAS DAS GUPTA:
SHRI CHATURANAN MISHRA:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Congress(I) had pledged in its election Manifesto to implement Workers Participation in the Management Scheme; and

(b) if so, the steps taken in this regard?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI PABAN SINGH GHATOWAR): (a) The manifesto of the Indian National Congress (I) for the General Elections of 1991 states that it is committed to increasing the workers' participation in management.

(b) A scheme on employees' participation in management was notified by the Central Government on December 30, 1983. It is applicable to all Central Public Sector Undertakings except those which are specifically exempted. A majoriy of the Central Public Sector Undertakings have introduced workers' participation in management at the shop floor and the enterprise level.

The Participation of Workers in Management Bill, 1990 was introduced in the Rajya Sabha on 30th May, 1990. The Bill has not yet been taken up for consideration by the House.

ग्रामीण युवाओं को रोजगार के अवसर

2437. **सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा**
डा० जितेन्द्र कुमार जैन:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 28 दिसम्बर, 1991 के "फाईनेन्शियल एक्सप्रेस" में रूपीज 14,333 करोर्स प्लान टु क्रियेट 24.5 लैक जॉब्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार आगामी आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारी संख्या में रोजगार के अवसर प्रदाद करने हेतु कोई योजना क्रियान्वित करने का विचार रखती है ;

(ग) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान रोजगार के कितने अवसर उपलब्ध कराये जाने की संभावना है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० जे० कुरियन) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) सरकार पहले से ही एक योजना कार्यान्वित कर रही है, जिसे "शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार योजना" के रूप में जाना जाता है। शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार योजना के अधीन, आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-97) के दौरान 12.5 लाख लाभार्थियों का लक्ष्य रखा गया है। उपर्युक्त के अलावा, सरकार देश में लघु उद्योगों को भी

बढ़ावा दे रही है तथा प्रत्येक वर्ष बहुत बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर पैदा किए जा रहे हैं । नई मदों में उल्लिखित 24.5 लाख नौकरियों के आंकड़े आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लघु क्षेत्र के लिए किए गए अनुमानों पर आधारित हैं ।

राष्ट्रीय ग्रामीण श्रम आयोग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी

2438. **श्री रणजीत सिंह :**
डा० जिनेन्द्र कुमार जैन :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय ग्रामीण श्रम आयोग ने 1990 के वर्ष के मूल्यों के आधार पर असंगठित क्षेत्र में नियोजित अकुशल श्रमिकों के लिए 20 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से न्यूनतम मजदूरी निर्धारित किये जाने की सिफारिश की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि अकुशल श्रमिकों को देश के अधिकांश राज्यों में निर्धारित की गई न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी दी जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां 20 रुपये प्रतिदिन की दर से कम दर पर मजदूरी दी जा रही है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घटोवर) : (क) जी हां ।

(ख) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अधीन, राज्य क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले अनुसूचित नियोजनों के संबंध में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के उपबंधों के निर्धारण/संशोधन और प्रवर्तन का दायित्व राज्य सरकार का है । सभी सरकारों ने इस प्रयोजन के लिए प्रवर्तन तंत्र की व्यवस्था कर ली है और सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के उपबंधों के अनुसार चूक कर्ता नियोजकों के विरुद्ध नियमित रूप से कार्रवाई की जाती है।

(ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार, आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, जम्मू एवं कश्मीर, कर्नाटक, नागालैण्ड, सिक्किम तमिलनाडु तथा त्रिपुरा राज्यों तथा दादरा और नागर हवेली लक्षद्वीप तथा पांडिचेरी संघ शासित क्षेत्रों में कृषि क्षेत्र में मजदूरी की दरें 20/- रु० प्रतिदिन से कम हैं जबकि आन्ध्र प्रदेश (18-21 रु०) महाराष्ट्र 12-20 रु०) तथा उत्तर प्रदेश (18-20 रु०) राज्यों में क्षेत्र, जोन आदि के अनुसार न्यूनतम मजदूरी भिन्न-भिन्न होती हैं।

2439. [*Transferred to the 23rd March, 1992*].

Child Labour in the country

2440. SHRIMATI SUSHMA SWARAJ: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that child workers constitute about 26 per cent of the country's total work force;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the measures Government propose to take for their betterment?